11-8-20

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील उभय पक्ष की प्रार्थनापत्र आदेश-39 नियम-4 आ०द०प्र० पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी संख्या सं. 1 ने न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्र०सं० 194/2019 प्रा०पत्र धारा-212 ग्रा०न०नि०अधि० में कोई भी ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर उसका प्रथम दृष्टया

Continue:-

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिद्ध हो तथा किसी भी प्रकार की अपूर्णीय क्षति साबित नहीं की तथा सुविधा का सन्तुलन विपक्षी सं. 1 के पक्ष में नहीं होने के उपरान्त भी अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 19/12/2019 को विपक्षी सं. 1 ने कराया जिसको प्रार्थीगण न्यायहित में सेट एसाईड किया जावे। वकील विपक्षी सं. 1 का कथन है कि प्र0सं. 194/2019 अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा-212 रा0 का0 अधि0 जो न्यायालय हाजा में आज दिनांक को पेशी में है जिसमें वकील प्रार्थीगण ने आज ही जवाब आवेदन पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर दिया है। अब मूल प्रार्थना पत्र पर ही सुना जावे जिसमें जवाब पेश होने के बाद प्रार्थना पत्र धारा-39 नियम-4 ज़ा0दी0 का अब कोई औचित्य नहीं है गुण अवगुण का निर्धारण मूल अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर ही हो जायेगा। अतः प्रार्थना आदेश-39 नियम-4 ज़ा0दी0 को खारिज किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। जब वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र धारा-212 में जवाब आवेदन पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश कर दिया है अब इसी पर सुना जाना न्यायोचित होगा। मूल प्रार्थना पत्र धारा-212 ... हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश-39 नियम-4 ज़ा0दी0 खारिज किया जाता है। पत्रावली कोर्ट शुमार होकर नम्बर से क्रम हो। sd/- उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari.
Date: 2021.03.17 17:25:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner